प्रकाशन का 43 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक-43 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 22-29 अक्तूबर 2018 मूल्य पांच रूपए

अफसरशाही के भरोसे हुई जयराम सरकार

शिमला/शैल। क्या मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर पूरी तरह अफसरशाही के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? यह सवाल पिछले कुछ अरसे से सचिवालय के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस सरकार को अधिकारियों का एक ग्रुप विशेष ही चला रहा है। इन अधिकारियों की राय मुख्यमन्त्री के घोषित फैसलों पर भी भारी पड़ रही है। इस चर्चा को हवा देने के लिये सबसे पहला उदाहरण बीवरेज कॉरपोरेशन प्रकरण का दिया जा रहा है। धर्मशाला में जयराम मन्त्रीमण्डल की हुई पहली बैठक में बीवरेज प्रकरण पर जांच बिठाने का फैसला लिया गया था। लेकिन उस दिन मन्त्री परिषद के सामने जो ऐजैन्डा रखा गया था उसमें यह विषय ही नही था। कहते हैं कि बैठक खत्म होने के बाद एक अधिकारी ने मुख्यमन्त्री के सामने यह मामला रखा और इस पर जांच का फैसला करवा दिया। लेकिन इस फैसले पर विजिलैन्स अब तक कोई कारवाई नही कर पायी है। शायद अब उसअधिकारी की इसमें रूची नही रह गयी है।

इसके बाद जब दिव्य हिमाचल के शिमला स्थित ब्यूरो प्रमुख की अचानक मौत हो गयी थी तब मुख्यमन्त्री ने मृतक के परिवार को आश्वासन दिया था कि पत्रकार की विधवा को सरकार नौकरी देगी। इसके बारे में कई बार मुख्यमन्त्री इस संबंध में उनको मिलने गये पत्रकारों को भी यह कह चुके हैं कि यह नौकरी दी जायेगी। लेकिन ऐसा अभी तक हो नही सका है। क्योंकि अधिकारी ऐसा नही चाहते हैं और इसीलिये उनके निमय कानून मुख्यमन्त्री की सार्वजनिक घोषणा पर भारी पड़ रहे हैं। यही नही सरकार के निदेशक लोकसंपर्क ने प्रदेश के साप्ताहिक समाचार पत्रों के संपादकों से विभाग में एक बैठक भी की थी। इस बैठक में साप्ताहिक पत्रों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई थी और कहा गया कि एक माह में इस पर अमल हो जायेगा। लेकिन अभी तक ऐसा हो नही पाया है। बल्कि सरकार ने सारे विभागों/निगमों/बोर्डों को पत्र लिखकर यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि उनके स्तर पर कोई विज्ञापन नही दिये जायेंगे। विज्ञापन देने का काम लोक संपर्क विभाग ही करेगा। विभाग कुछ गिने चुने दैनिक पत्रों को ही फीड कर रहे हैं। प्रदेश के साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापनों से बाहिर ही कर दिया गया है। ऐसा इसलिये किया गया है ताकि जनता के सामने सरकार की सही तस्वीर रखने वालों को दबाव में लाया जा सके। राजनीति की जानकारी रखने वाला तो कोई ऐसा फैसला ले नही सकता। क्योंकि ऐसे फैसले घातक होते हैं। इस तरह का काम कोई अधिकारी ही कर सकता है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि मुख्यमन्त्री और उनका मीडिया सलाहकार इस संबंध में एकदम अप्रसांगिक हो गये हैं। अफसरशाही के खेल के आगे मौन हो गये हैं।

अफसरशाही कैसे राजनीतिक नेतृत्व पर भारी पड़ रही है इसका सबसे बड़ा प्रमाण दीपक सानन के स्टडीलीव प्रकरण में सामने आया है। सानन ने अपने प्रतिवेदन में स्वयं स्वीकारा है कि स्टडीलीव समाप्त होने के बाद तीन साल का सेवा काल शेष होना चाहिये लेकिन सानन ने ओपी यादव, विनित चौधरी और उपमा चौधरी को दी गयी स्टडीलीव का हवाला देते हुए उसी आधार पर उन्हें स्टडीलीव देने की मांग की। कार्मिक विभाग ने पूरे तर्को के साथ सानन के प्रतिवेदनों पर विस्तृत विचार करते हुए उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया। लेकिन सानन इस अस्वीकार के बाद भी बराबर सरकार को प्रतिवेदन भेजते रहे। अन्ततः यह मामला 1.2.18 को मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमन्त्री को भजा गया। जब यह मामला मुख्यमन्त्री के पास 6.2.18 को आया इस फाईल पर कार्मिक विभाग के सारे तर्क उपलब्ध थे। यही नही वीरभद्र सरकार ने किस आधार पर इसे अस्वीकार किया था यह भी फाईल पर था। बल्कि सानन ने अपने प्रतिवेदन में जिस तरह से चौधरी दम्पत्ति का जिक्र किया है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें भी स्टडीलीव गलत दी गयी है। लेकिन मुख्यमन्त्री जयराम ने इस पर कोई भी सवाल उठाये बिना ही इस पर दस्तख्त कर दिये। जो मुख्य सचिव ने कहा उसी को यथास्थिति मान लिया। इन्ही प्रकरणों से अब यह चर्चा उठी है कि मुख्यमन्त्री ने सब कुछ अधिकारियों पर छोड़ दिया है। अफसरशाही को दी गयी इस छूट के परिणाम क्या होंगे यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

To

The Addl. Chief Secretary (Pers.) to the
Government of Himachal Pradesh,
Shimla-171002.

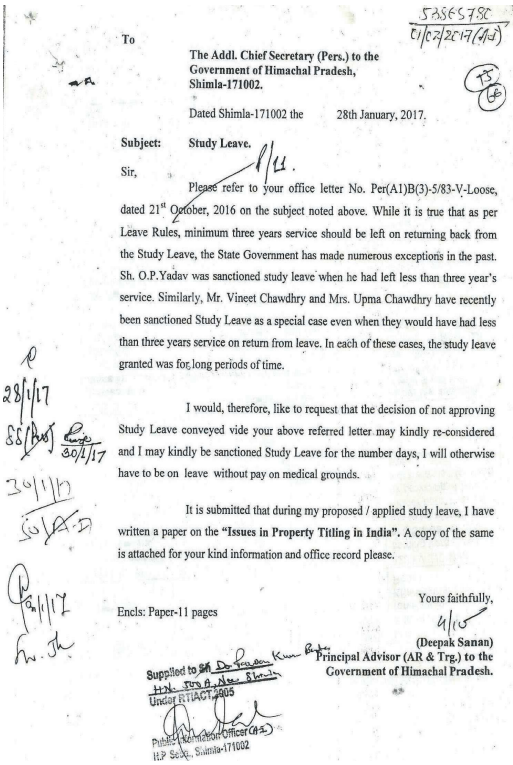

Dated Shimla-171002 the 28th January, 2017.

Subject: **Study Leave.**

Sir,

Please refer to your office letter No. Per(A1)B(3)-5/83-V-Loose, dated 21st October, 2016 on the subject noted above. While it is true that as per Leave Rules, minimum three years service should be left on returning back from the Study Leave, the State Government has made numerous exceptions in the past. Sh. O.P.Yadav was sanctioned study leave when he had left less than three year's service. Similarly, Mr. Vineet Chawdhry and Mrs. Upma Chawdhry have recently been sanctioned Study Leave as a special case even when they would have had less than three years service on return from leave. In each of these cases, the study leave granted was for long periods of time.

I would, therefore, like to request that the decision of not approving Study Leave conveyed vide your above referred letter may kindly re-considered and I may kindly be sanctioned Study Leave for the number days, I will otherwise have to be on leave without pay on medical grounds.

It is submitted that during my proposed / applied study leave, I have written a paper on the **"Issues in Property Titling in India"**. A copy of the same is attached for your kind information and office record please.

Encls: Paper-11 pages

Yours faithfully,

(Deepak Sanan)
Principal Advisor (AR & Trg.) to the
Government of Himachal Pradesh.

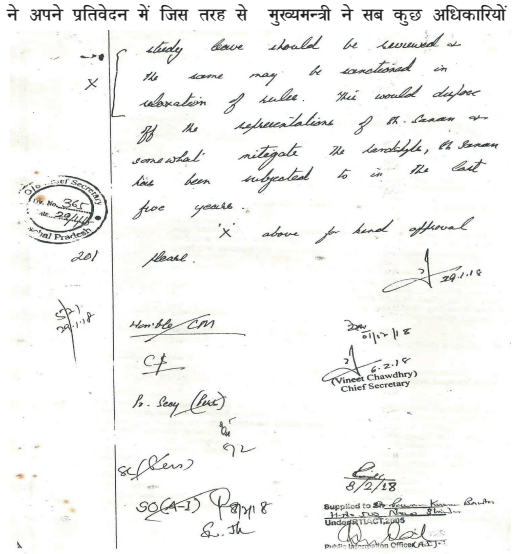

Supplied to
Under RTI ACT,2005
Public Information Officer(A-I)
H.P Sectt., Shimla-171002

study leave should be reviewed & the same may be sanctioned in relaxation of rules. This would defuse the representations of Sh. Sanan & somewhat mitigate the hardship, Sh. Sanan has been subjected to in the last five years.

'X' above for kind approval please.

Hon'ble CM

(Vineet Chawdhry)
Chief Secretary

8/2/18

Supplied to
Under RTI ACT,2005
Public Information Officer(A-I)

सहकारी बैंको को लेकर सरकार की शिकायत पर विजिलैन्स की चुप्पी सवालों में

शिमला/शैल। जयराम सरकार बनने के बाद सहकारी सभाएं ने 6 अप्रैल को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैक धर्मशाला के अध्यक्ष और बोर्ड को निलंबित करने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। चुनौती दिये जाने के बाद 19 जुलाई को तकनीकि आधार पर इस नोटिस को वापिस ले लिया गया और फिर उसी दिन नया नोटिस जारी कर दिया गया। इसे भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। अब इस पर उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है। अदालत ने इस निलंबन को सही पाया है।

अदालत ने अपने फैसले में नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट का जिक्र उठाते हुए कहा है कि बैंक ने 90 लोगों को 31 दिसम्बर 2017 जोखिम सीमा से बाहर जाकर कर्ज दिया। इसके अतिरिक्त 119 लोगों को नियमों के बाहर जाकर ऋण दिया गया। सी.ए. की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2017 तक की आडिट रिर्पोटों में कई अनियमितताएं उजागर हुई है। जिसमें बैंक का एन.पी.ए. 11.43 प्रतिशत से बढ़कर 16.25 प्रतिशत होना सामने आया है। रिर्पोट में फ्राड उजागर हुआ है लेकिन इसमें शामिल रकम की वसूली के लिये कोई कदम नही उठाये गये हैं। यही नही आरबीआई के दिशा निर्देशों के खिलाफ जाकर रियल इस्टेट को कर्ज दिया गया है। विधानसभा के पिछले सत्र में इस संबध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में एनपीए हुये खातों की पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर आ चुकी है। इसमें भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के नाम भी सामने आये हैं। ऐसा भी लगता है कि प्रदेश से बाहर भी ऋण बांटे गये हैं।

सदन में सहकारी बैंकों के एनपीए की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कुछ बिन्दुओं पर विजिलैन्स जांच करवाने के लिये विजिलैन्स को पत्र लिखा था। लेकिन सरकार के इस शिकायत पत्र पर आज तक कोई कारवाई नही हुई है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सात दिन के भीतर मामला दर्ज हो जाना चाहिये था। अब जब प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार के निलंबन के फैसले को सही करार दे दिया है तब यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या अब विजिलैन्स इस पर कारवाई करेगी या नही और करेगी तो कितने समय के भीतर। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मुख्यमन्त्री कार्यालय में बैठे हुए कुछ लोग ऐसा नही चाहते है।

राज्यपाल का स्वामी दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने पर बल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई दिल्ली के रोहिणी में आयोजित चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने किया, में संबोधित करते

महान विचारक और सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के अधिकार और समाज की बेहतरी के लिए वैदिक संस्कृति को बढ़ावा दिया।

राज्यपाल ने कहा कि स्वामी दयानंद ने समाज में प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों का जोरदार विरोध किया और उनका शिक्षा, विशेष तौर पर कन्या शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेते हुए डीएवी और गुरुकुल के माध्यम से आर्य समाज अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आचार्य देवव्रत ने कहा कि समाज में मानवता का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां स्वामी ने चेतना का काम नहीं किया हो। उन्होंने कहा कि हम महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाकर एक मजबूत समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य भारत और उसके युवाओं की दिशा तथा वेदों की शिक्षा को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये तय करना है। इसके अलावा, भारतीय नस्ल की गाय पालने पर भी विचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी दयानंद ने किसानों को राजाओं के राजा की संज्ञा दी है, लेकिन आज देश के किसान चिंतित हैं और हमें उनकी परिस्थितियों में सुधार लाने के बारे में चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके हम स्वामी दयानंद की विचारधारा को जनता तक ले जा सकते हैं।

राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि इस महासम्मेलन के माध्यम से नए विचारों का सृजन होगा और वेदों को अपनाकर मूल्य आधारित जीवन बनाया जा सकता है। आचार्य देवव्रत ने लोगों से समाज से जाति व्यवस्था को हतोत्साहित करने और स्वामी दयानंद जी द्वारा प्रचारित पूर्ण सभ्य समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

आचार्य देवव्रत ने राष्ट्रपति के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, केंद्रीय राज्य मंत्री सत्य पाल सिंह, उत्तर दिल्ली नगर निगम के महापौर आदेश कुमार गुप्ता व सांसद स्वामी सुमेधा नंद सरस्वती भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

'कृषि दृष्टिकोण:एक समग्र अवलोकन' पर राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट

शिमला/शैल। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत सहित राज्यपालों की पांच सदसीय समिति ने 'कृषि

दृष्टिकोण: एक समग्र अवलोकन' पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राज्यपालों की समिति का गठन राज्यपालों के 2018 में आयोजित एक सम्मेलन में किया गया था जिसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक उपायों तथा दृष्टिकोण पर सुझाव देना था। रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन को रोकने तथा ग्रामीण - शहरी विभाजन को कम करने के अलावा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, जल एवं पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न पहलूओं का विवरण है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, कर्नाटक के राज्यपाल वाजूभाई वाला, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आन्नदीबेन पटेल समिति में शामिल है।

सामाजिक बुराईयां मिटाने में रेडक्रास की महत्वपूर्ण भूमिका: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रेडक्रास संस्था मानव पीड़ा को दूर करने की

दिशा में सामाजिक अभियान की तरह काम कर रहा है और रेडक्रास मेलों जैसे आयोजनों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राज्यपाल सोलन ज़िले के नालागढ़ में ज़िला स्तरीय रेडक्रास मेले के शुभारम्भ कार्यक्रम के अवसर बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से रेडक्रास के साथ जुड़ने का आह्वान किया ताकि उपेक्षित वर्गों की परेशानी को दूर करने के लिए मानवीय गतिविधियां चलाई जा सके। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी गतिविधियां संचालित करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए और समाज के जिम्मेदार नागरिकों को चाहिए कि वे खुद को रेडक्रास की गतिविधियों से जोड़ें।

राज्यपाल ने आम लोगों को जागरूक करने व लोगों को इस जन अभियान से जोड़ने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सोलन ज़िला रेडक्रास सोसायटी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मेले के दौरान पहाड़ी गाय के प्रचार के लए स्टाल लगाने, नशानिवारण रैली, रक्तदान शिविर व छात्रों के साथ संवाद जैसी अतिरिक्त गतिविधियों के आयोजन के लिए सोसायटी के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।

आचार्य देवव्रत ने कन्या लिंग अनुपात सुधार व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह समाज में एक बड़ा अपराध है। उन्होंने कहा कि बेटे और बेटी के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां समाज के हर क्षेत्र में आगे हैं और परिवार व देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया क्योंकि आज रसायनों के अत्याधिक उपयोग के कारण पानी, वायु और भोजन प्रदूषित हो रहे हैं।

उन्होंने लोगों से स्वच्छता को जीवन में नियमित आदत बनाने का आग्रह किया जो देश को स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

राज्यपाल ने ज़िला रेडक्रास सोसाइटी की स्मारिका का विमोचन भी किया।

उन्होंने समाज के प्रति अपने बहुमूल्य योगदान देने वाले ज़िला रेडक्रास सोसायटी के वयोवृद्ध सदस्यों और अपने - अपने क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले अन्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगों को व्हील चेयर भी प्रदान की।

विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ओकाया माइक्रोटेक कम्पनी ने ज़िला रेडक्रास सोसायटी को पांच लाख रुपये का चेक भेंट किया।

उपायुक्त व ज़िला रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि ज़िला में रेडक्रास संस्था 1973 से मानव कल्याण के प्रति समर्पित है और वर्तमान में इसके चार संरक्षक, 12 उपसंरक्षक व 815 आजीवन सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सोसायटी जरूरतमंद मरीजों को एम्बुलेंस सेवा भी प्रदान कर रही है। उन्होंने लोगों, विशेषकर युवाओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि जिला प्रशासन ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक विशेष अभियान आरम्भ करने जा रहा है।

एडीएम विवेक चंदेल ने राज्यपाल सहित सभी विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद किया।

विधायक लखविंदर सिंह राणा, परमजीत सिंह पम्मी और के.एल. ठाकुर पूर्व विधायक राम कुमार, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी, पुलिस अधीक्षक बद्दी बिंदू रानी सचदेवा, जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला रेडक्रास सोसाइटी के पदाधिकारी, नालागढ़ औद्योगिक एसोसिएशन के सदस्य, विभिन्न स्कूलों के छात्र व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने नशा विरोधी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया व डिग्री कॉलेज नालागढ़ के छात्रों को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि दवाएं न केवल शरीर को नष्ट करती हैं बल्कि बुद्धि का भी विनाश करती हैं तथा नशे का आदी परिवार और समाज पर बोझ बन जाता है। उन्होंने युवाओं से नशीली दवाओं का सेवन न करने की अपील की।

राज्यपाल ने नागरिक अस्पताल, नालागढ़ के मरीजों को फल भी वितरित किए।उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों व नालागढ़ औद्योगिक एसोसिएशन के सहयोग से क्रांति क्लब द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर का शुभारम्भ किया। उन्होंने पशुपालन विभाग और ओकाया समूह द्वारा प्रायोजित चिकित्सा किट लोगों में वितरित की।

आचार्य देवव्रत ने बाल विद्या कुंज के छात्रों से बातचीत की। राज्यपाल ने झुग्गी - झोपड़ियों और गरीब परिवारों के इन बच्चों के शिक्षा व अन्य व्यय को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की पहल की सराहना की।

HIMACHAL PRADESHPUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1.The Executive Engineer National Highway Division HP.PWD.,Theog Distt. Shimla H.P. on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of work	Estimated Cost (In Rs.)	EMD (In Rs.)	Cost of tender	Time Limit	Eligible class of contractor
	Restoration of Rain damages on Theog kotkhai Hatkoti Rohru road km 0/0 to 84/684 (Portion km 0/0 to 48/0) (SH:- Removal of slips in km 44/490 to 44/690)	95,73,606.00	128300.00	2000.00	Three Months	Class A & B

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website https://hptenders.gov.in. Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://hptenders.gov.in. Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Dates: (I)

1. Date of Online Publication	09.11.2018 at 10.00 AM
2. Document Download Start and End Date	09.11.2018 at 10.00 A.M. & 26.11.2018 at 6.00 P.M.
3. Bid Submission Start and End Date	09.11.2018 at 10.00 A.M. & 26.11.2018 at 6.00 P.M.
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	27.11.2018 at 10.30 A.M.
5. Date of opening of Technical Bid.	27.11.2018 at 11.00 A.M.

(II) Objections/representation if any against the bidders will be entertained only with in five days after publication/ up loading of technical bid opening summary on net. And thereafter that the date of opening of financial bid of technically qualified bidders will be published/upload on net .

4. TENDER DETAILS:
The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Cover:
i) Cover 1: shall contain scanned copies of all "Technical Documents/ Eligibility Information".
ii) Cover2: shall contain "BOQ/Financial Bid", where contractor will quote his offer for each item.

5. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the O/O National Highway Division HP.PWD., Theog Distt. Shimla H.P., as specified in Key dates Sr. No. 4 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.

6. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 27.11.2018 at 11.00 A.M. HRS in the office of National Highway Division HP.PWD., Theog Distt. Shimla H.P., by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

9. The contractor should not have more than two contracts at a time each of Rs. 100.00 lacs or more in any HPPWD circles. The contractor has to submit the list of incomplete works in hand on the proforma mentioned at Sr. No. 19 of General Rules and Directions .

Adv. No.: 2903/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
मिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्यमंत्री ने शिलाई में आईपीएच मंडल व रोनहाट में उपमण्डल खोलने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर ज़िला के शिलाई में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का मण्डल तथा रोनहाट में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का उपमण्डल खोलने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने शिलाई में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान 3.50 करोड़ रुपये की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि उठाऊ जलापूर्ति योजना कांडो दुगाणा जिसका उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लोगों का समर्पित किया की आधारशिला वर्ष 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा रखी गई थी और इस पेयजल आपूर्ति योजना को पूरा होने में लगभग दस वर्ष लगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिलाई को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोनहाट को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिलाई क्षेत्र में पेयजल की कमी से निपटने के लिए क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर 26 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 1.60 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिलाई में एक हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शिलाई में मुद्रिका बस आरम्भ करने तथा शिलाई में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की, जिसके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित की जाएगी। उन्होंने अगले वित्त वर्ष में रोनहाट में कॉलेज भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिलाई तथा कफोटा में दो नए ट्रेड आरम्भ करने तथा डिग्री कॉलेज शिलाई में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सतौन में एस्ट्रो-टर्फ के निर्माण के लिए 15 लाख रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने शिलाई में मिनी सचिवालय-राजस्व सदन के निर्माण के अतिरिक्त अशयाड़ में प्राथमिक पाठशाला खोलने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि शिलाई स्थित विश्राम गृह का विस्तार करने के अतिरिक्त यहां अतिरिक्त भवन का भी निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय शिलाई के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पोका सड़क पर के तिलगन खड्ड पर पुल, कांडो दुगाणा उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, जाखना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाखू भवन तथा राजकीय डिग्री कॉलेज के कर्मचारी आवासों का भी लोकार्पण किया, जिस पर क्रमशः 50 लाख, 1.30 करोड़, 60 लाख तथा एक करोड़ रुपये व्यय किए गए।

उन्होंने पूरे क्षेत्र की सुविधा के लिए शिलाई में अग्निशमन पोस्ट का भी शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री का पावंटा साहिब से शिलाई जाते हुए सतौन व दुगाना में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संगठनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री का स्वागत कियां। उन्होंने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों से भी अवगत करवाया।

विधायक सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश उन्नति व समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गिरि पार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के मामले को केन्द्र सरकार से उठाने का आग्रह किया।

शिलाई भाजपा मण्डलाध्यक्ष सूरत सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री तथा अन्यों का इस अवसर पर स्वागत किया।

जल रक्षकों की मांगों का समाधान करने के लिए नीति तैयार की जाएगी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज विभाग में वर्ष 2006 से कार्य कर रहे लगभग 6300 जल रक्षकों की मांगों का समाधान करने के लिए उचित नीति तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री ने जल रक्षक संघ द्वारा आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों तथा समस्याओं पर विचार कर रही है और उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने तथा अन्य लाभ प्रदान करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल रक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वे कड़ी मेहनत के अनुरूप मानदेय प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि, जल रक्षक संघ से कोई मांग प्राप्त किए बिना पहले बजट में उनका मानदेय 400 रुपये बढ़ाया गया था, जो राज्य सरकार की उनके प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

जय राम ठाकुर ने जल रक्षकों को आश्वासन दिया कि 12 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले जल रक्षकों के नियमितकरण सहित उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा एक उपयुक्त नीति तैयार की जाएगी, जिसे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता से पहले जनवरी, 2019 में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए पहले ही दिन से अथक प्रयास कर रही है और राज्य का समग्र तथा तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए विकास को नई दिशा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बागवानी, जल सग्रंहण तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में किसानों की आय को दोगुना करने के अलावा रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस अवसर पर बोलते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में जल रक्षकों को और अधिक जिम्मेदारी देने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से भारत सरकार ने राज्य में वर्ष 2000 से पूर्व शुरू हुई जल संग्रहण तथा सिंचाई योजनाओं के सम्वर्धन के लिए 5551 करोड़ रुपये की दो मुख्य परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

जल रक्षक संघ के अध्यक्ष बली राम शर्मा ने संघ की मांगों को प्रस्तुत किया और जल रक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में जल रक्षक संघ की मांगों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए एक बैठक की।

औद्योगिक क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध:बी.के.अग्रवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बी.के अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के सुनियोजित विकास एवं प्रदेश के युवाओं को औद्योगिक इकाईयों में बेहतर रोज़गार प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। बी.के अग्रवाल आज सोलन ज़िला के नालागढ़ उपमण्डल के बद्दी में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बी.के अग्रवाल ने कहा कि विकास में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने तथा रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाने के दृष्टिगत उद्यमियों को स्वच्छ वातावरण, निर्बाधा विद्युत आपूर्ति एवं विभिन्न अधोसंरचनागत सुविधाएं तथा प्रोत्साहन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में बेहतर सुविधा सृजन एवं अधोसंरचना उपलब्ध करवाने पर विशेष धयान दे रही है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित बना रही है।

बी.के अग्रवाल ने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घ अवधि के औद्योगिक विकास के दृष्टिगत श्रमिकों के लिए समुचित आवासीय सुविधा पर धयान दिया जाना आवश्यक है।

उन्होंने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि क्षेत्र में श्रमिकों के लिए वृहद स्तर पर कम लागत की आवासीय सुविधा सृजित करने के लिए शीघ्र एक प्रस्ताव प्रदेश सरकार को उचित माधयम द्वारा प्रेषित करें। उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों का समुचित पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विभिन्न लम्बित कार्यों को अविलम्ब पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उद्यमियों को विभिन्न सुविधाएं समय पर उपलब्ध होनी चाहिए तथा उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां समय पर मिलनी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने औद्योगिक निवेश के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया।

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.सी चमन ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से क्षेत्र में औद्योगिक विकास तथा प्राधिकरण के कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण नालागढ़ तथा बद्दी में एक-एक आदर्श ग्राम विकसित करेगा।

दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने इस अवसर पर समूचे क्षेत्र के विभिन्न मार्गों की मुरम्मत, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा क्षेत्र में ट्रॉमा सैंटर स्थापित करने की मांग की।

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक संघ के अधयक्ष शैलेष अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने भी क्षेत्र की सड़कों की मुरम्मत का आग्रह किया।

पुलिस अधीक्षक बद्दी बिन्दू रानी सचदेवा ने क्षेत्र की कानून एवं व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

मुख्य सचिव ने तदोपरान्त बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा इस सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश जारी किए।

BBNDAसॉलिड वेस्ट डंपिंग पर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा करें

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र से सालिड वेस्ट को इक्कटठा कर अवैज्ञानिक तरीके से डंपिंग करने के मामले पर गंभीर टिप्पणी करते हुये नगर परिषद बद्दी और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण को चार सप्ताह के भीतर इससे संबंधित अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल समेत डिवीजन बेंच ने बददी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में ठोस/जहरीले/सीवरेज वेस्ट के अनुचित और अवैज्ञानिक कचरे के मुद्दे पर सुलेमान द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया।

हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने यह आदेश को पारित किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 04.10.2018 के न्यायालय के पहले आदेश के अनुपालन में न्यायालय ने पाया कि रिपोर्ट से यह पहली बार लगता है कि एम.सी.बद्दी के साथ-साथ बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण ठोस कचरे के संग्रह और एमएसडब्ल्यू निपटान स्थल केन्डूवाल पर वैज्ञानिक तरीके से डंपिंग के संबंध में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में नाकाम रही है जिसके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आवश्यक मंजूरी दी गई है। इस पर अदालत ने उपायुक्त, सोलन को न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस मामले पर 29 नवंबर 2018 को आगे सुनवाई होगी।

खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी में जब्त किए 12 गैस सिलेंडर

शिमला/शैल। कांगड़ा जिला में व्यावसायिक कार्यों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मुहिम छेड़ रखी है। इस कड़ी में विभाग के दल ने कांगड़ा तथा फतेहपुर उपमंडलों में होटल, ढाबों, सब्जी विक्रेताओं और करियाना की दुकानों पर जाकर जांच की। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान के नेतृत्व में कार्रवाई करने वाली इस टीम में खाद्य निरीक्षक महेन्द्र सिंह धीमान, सुरेश ठाकुर, विनय कुमार तथा फतेहपुर के सुरेन्द्र सिंह भी शामिल थे।

नरेंद्र धीमान के बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि कई ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों का धड़ाधड़ प्रयोग किया जा रहा था। टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर इन जगहों पर 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन के प्रयोग पर 10 चालान काटकर उन्हें 62500 रुपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी कांगड़ा में 22 क्विंटल 43 किलो सब्जी तथा फल जब्त किये गये। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने कहा कि विभाग समय-समय पर जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके जमाखोरों पर आगे भी कार्यवाही जारी रखेगा।

एकमात्र वस्तु जो हमें पशु से भिन्न करती है – वह है सही और गलत के मध्य भेद करने की क्षमता जो हम सभी में समान रूप से विद्यमान है।.....महात्मा गाँधी

सम्पादकीय

सीबीआई प्रकरण- जन विश्वास की खुली हत्या

सीबीआई देश की सर्वोच्च न्यायालय जांच ऐजैन्सी है और मन्त्री स्तर पर इसका प्रभार प्रधानमन्त्री के पास है। यह संस्था अपने में एक स्वतन्त्र और स्वायत संस्था है। यह स्वायतता इसलिये है ताकि कोई भी इसकी निष्पक्षता पर सवाल न उठा सके। इसी निष्पक्षता और स्वायतता के लिये इसमें नियुक्तियों के लिये प्रधानमन्त्री, नेता प्रतिपक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश पर आधारित बोर्ड ही अधिकृत है। इस तरह सिन्द्धात रूप से इसकी स्वायतता और निष्पक्षता बनाये रखने के लिये पूरा प्रबन्ध किया गया है। लेकिन क्या यह सब होते हुए भी यह जांच ऐजैन्सी व्यवहारिक तौर पर स्वायत और निष्पक्ष है। यह सवाल आजकल एक सर्वाजनिक बहस का मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि इस ऐजैन्सी के दोनों शीर्ष अधिकारियां निदेशक और विशेष निदेशक ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार ओर रिश्वत खोरी के ऐसे गंभीर आरोप लगा रखे हैं जिनसे आम आदमी के विश्वास एवम् सरकार की साख को इतना गहरा आघात लगा है कि शायद उसकी निकट भविष्य में भरपाई ही न हो सके। इस संस्था के निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ कैबिनेट सचिव के पास करीब छः माह से शिकायतें लंबित चली आ रही रही थी और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ तो निदेशक ने एफआईआर तक दर्ज करवा दी है। इसी एफआईआर के चलते डीएसपी देवेन्द्र कुमार की गिरफ्तारी तक हो गयी और इस गिरफ्तारी के लिये सीबीआई को अपने ही मुख्यलाय पर छापामारी तक करनी पड़ी।

यह सारा प्रकरण जिस तरह से घटा उससे सरकार की छवि पर गंभीर सवाल उठे। सरकार ने आधी रात को कारवाई करते हुए दोनों शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया और तीसरे आदमी नागेश्वर राव को अन्तरिम कार्यभार सौंप दिया। सरकार के इस कदम से आहत होकर दोनों अधिकारियों ने इसे अदालत में चुनौती दे दी। विशेष निदेशक दिल्ली उच्च न्यायालय और निदेशक सर्वोच्च न्यायालय पंहुच गयें दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थाना की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और सर्वोच्च न्यायालय ने आलोक वर्मा के खिलाफ आयी शिकायत पर सीबीसी को दस दिन के भीतर सेवानिवृत न्यायधी ा ए.के.पटनायक की निगरानी में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिये हैं। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने अन्तरिम निदेशक पर कोई भी नीतिगत फैसला लेने पर प्रतिबन्ध लगाते हुए इस दौरान उसके द्वारा किये गये कार्यो की सूची भी तलब कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से स्पष्ट हो जाता है कि शीर्ष अदालत ने सरकार की कारवाई को यथास्थिति स्वीकार नही किया है क्योंकि सीबीसी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीश की निगरानी में अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगें। इस निगरानी से सीबीसी की निष्पक्षता पर स्वत: ही सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ अन्तरिम निदेशक के कार्य क्षेत्र को भी सीमित कर दिया है। क्योंकि अन्तरिम निदेशक के खिलाफ भी गंभीर आरोप सामने आ गये हैं। इस तरह देश की शीर्ष ऐजैन्सी के शीर्ष अधिकारियों की ईमानदारी पर लगे सवालों से यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। इसी ऐजैन्सी के दो पूर्व निदेशकों ए पी सिंह और रंजीत सिन्हा के खिलाफ तो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान निदेशक आलोक वर्मा को ही जांच सौंपी थी जो आज तक पूरी नही हो पायी है। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना ने स्वयं एक दूसरे को नंगा किया है। शायद यह प्रकृति का न्याय है अन्यथा देश की जनता के सामने यह कभी न आ पाता।

सीबीआई में यह जो कुछ घटा है उसका अन्तिम सच क्या रहता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इस प्रकरण से केन्द्र सरकार और खास तौर पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं क्योंकि सीबीआई का प्रभार सीधे उनके अपने पास है। फिर प्रधानमंत्री बनते ही मोदी अपने साथ गुजरात काडर के करीब 30 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली ले आये थे। कैबिनट सचिव, सीबीसी और अस्थाना मोदी के विश्वस्तों की टीम का ही हिस्सा हैं। सीबीसी और कैबिनेट सचिव के संज्ञान में लम्बे अरसे से आलोक वर्मा/ राकेश अस्थाना का विवाद था। इससे यह नही माना जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमितशाह के संज्ञान में यह सब लाया गया हो। इस सीबीआई प्रकरण पर पूरा विपक्ष सरकार पर पूरी गंभीरता से आक्रामक हो गया है। इन अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लगाये गये आरोपों से एक सवाल यह खड़ा हो जाता है कि इन लोगों ने जिन भी मामलों की जांच स्वयं की होगी या जिनकी निगरानी की होगी उनकी रिपोर्ट/निष्कर्ष कितने विश्वसनीय होगें। आज विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी विदेशों में बैठकर वहां की अदालतों में सीबीआई की निष्पक्षता पर ही सवाल लगाये हुए हैं। विदेशों की अदालतों में सरकार सीबीआई की निष्पक्षता कैसे प्रमाणित कर पायेगी?

यह सवाल कल को बड़ा सवाल बनकर सामने आयेगा। फिर इस प्रकरण पर मोदी और अमितशाह की चुप्पी से यह विश्वास का संकट और गंभीर हो जाता है। आने वाले समय में कोई कैसे किसी भी मामले में सीबीआई जांच की मांग कर सकेगा? अदालतें किस भरोसे सीबीआई को कोई मामला सौंप पायेंगी। आज प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष को साथ लेकर जनता के विश्वास को बहाल करने के लिये कारगर कदम उठाने पड़ेंगे अन्यथा बहुत नुकसान हो जायेगा।

गृहिणी सुविधा योजना ने बदले महिला सशक्तिकरण के मायने

अगले दो साल में राज्य के हर परिवार को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को प्रयासरत प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। लान्च होने के करीब 5 माह में ही इस योजना ने अपने तय लक्ष्य का करीब 66 प्रतिशत सफर तय कर लिया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 33,264 रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था जबकि 16 अक्तूबर 2018 तक करीब 22 हज़ार रसोई गैस के कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग रसोई गैस का सिलेंडर, आईएसआई मार्क वाला स्टोव, सुरक्षा पाइप व रेगुलेटर निशुल्क उपलब्ध करा रहा है। अब तक विभाग को इस योजना के तहत 1,61,207 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। विभाग को योजना के तहत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में 3500 रुपए का खर्च आता है। सरकार इस योजना के अंतर्गत अगले दो साल में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को रसोई गैस की सुविधा प्रदान करना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने 26 मई 2018 को इस योजना का शुभारंभ शिमला से किया था। बजट में गृहिणी सुविधा योजना के लिए राज्य सरकार ने 12 करोड़ का बजट रखा था, जिसमें से 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण राज्य सरकार की इस योजना का विशेष उद्देश्य है। गृहिणी सुविधा योजना से महिलाओं को रसोई के लिए लकड़ी इक्टठा करने व चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिल रही है। योजना के तहत उन परिवारों को लाया गया है, जो केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं ले पा रहे थे।

इस योजना के तहत किसी भी श्रेणी का परिवार आवेदन कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। सबसे पहले परिवार के पास पहले से कोई रसोई गैस का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संस्था, बोर्ड व निगम का कर्मचारी और पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए। परिवार को कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी एजेंसी में पंजीकृत ठेकेदार नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, जिनका विभाजन एक जनवरी 2018 के बाद हुआ है। ऐसे परिवारों को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाता है।

गृहिणी सुविधा योजना के लिए एक सरल फार्म के जरिए किया जा सकता है। ये फार्म ग्राम पंचायतों में भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट से भी इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें व शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकाय करते हैं। गैस एजेंसियां भी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डी-डुपलिकेशन को चैक करती हैं। इसके बाद गैस का कनेक्शन परिवार की महिला के नाम पर दिया जाता है। ऐसे परिवारों को भी कनेक्शन मिलता है, जिनमें कोई महिला सदस्य नहीं है।

गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार को भी रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाता है। बाढ़, बादल फटने या आग लगने जैसी घटनाओं के बाद प्रभावित परिवारों को तुरंत रसोई गैस की सुविधा प्रदान की जाती है, चाहे परिवार के पास पहले से ही कोई कनेक्शन क्यों न हो।

अगर पात्र परिवारों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में कोई असुविधा हो रही हो, तो वह इसकी शिकायत विभाग के पास कर सकते हैं। इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 1967 टोल फी नंबर भी जारी किया है। इस टोल फी नंबर पर आने वाली शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। इसके अलावा योजना के नोडल अधिकारी व विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश गंगोत्र से भी उनके कार्यालय में फोन नंबर 0177-262497 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जो प्रदेश से प्रत्येक परिवार को धुआं रहित स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के मार्गदर्शन में विभाग की गृहिणी सुविधा योजना बेहद सफल साबित हो रही है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की दिशा एक मील का पत्थर साबित होगी।

अबकी बार...सरकार नहीं आजादी की दरकार!

पुण्य प्रसून वाजपेयी

2014 के नारे 2019 से पहले ही दामन से लिपट जायेंगे ये ना तो नरेन्द्र मोदी ने सोचा होगा। ना ही 2014 में पहली बार खुलकर राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुये सरसंघचालक मोहनभागवत ने सोचा होगा। ना ही भ्रष्टाचार और घोटालो के आरोपों को झेलते हुये सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस ने सोचा होगा। और ना ही उम्मीद और भरोसे की कुलांचे मारती उस जनता ने सोचा होगा, जिसके जनादेश ने भारतीय राजनीति को ही कुछ ऐसा मथ दिया कि अब पारंपरिक राजनीति की लीक पर लौटना किसी के लिये संभव ही नहीं है। 2013 – 14 में कोई मुद्दा छूटा नहीं था। महिला , दलित , मुस्लिम , महंगाई , किसान, मजदूर , आतंकवाद , कश्मीर , पाकिस्तान , चीन , डॉलर , सीबीआई , बेरोजगार , भ्रष्टाचार और अगली लाईन ...अबकि बार मोदी सरकार। तो 60 में से 52 महीने गुजर गये और बचे 8 महीने की जद्दोजहद में पहली बार पार्टियां छोटी पड़ गईं और ''भारत '' ही सामने आ खड़ा हो गया । सत्ता ने कहा ''अजेय भारत, अटल भाजपा'' तो विपक्ष बोला ''मोदी बनाम इंडिया।'' यानी दुनिया के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश को चलाने संभालने या कहे सत्ता भोगने को तैयार राजनीति के पास कोई विजन नहीं है कि भारत होना कैसा चाहिये । कैसे उन मुद्दों से निजात मिलेगी जिन मुद्दो का जिक्र कर 2014 में गद्दी पलट गई । या फिर उन्ही मुद्दों का जिक्र कर गद्दी पाने की तैयारी है। तो क्या ये भारत की त्रसदी है जिसका जिक्र महात्मा गांधी ये कहते – सोचते मार डाले गये कि ये आजादी नहीं बल्कि सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण है।

यानी अजेय भारत में 2019 भी सत्ता हस्तांतरण की दिशा में जा रहा है जैसे 2014 गया था । और जैसे इमरजेन्सी के बाद इंदिरा की गद्दी को जनता ने ये सोच कर पलट दिया कि अब जनता सरकार आ गई। तो नये सपने । नई उम्मीदों को पाला जा सकता है । पर अतीत के इन पन्नों पर गौर जरुर करें। क्योंकि इसी के अक्स तले ''अजेय भारत'' का राज छिपा है । आपातकाल में जेपी की अगुवाई में संघ के स्वयंसेवकों का संघर्ष रंग लाया । देशभर के छात्र – युवा आंदोलन से जुड़े। 1977 में जीत होने की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराने के लिये इंदिरा गांधी तैयार हो गई । और अजेय भारत का सपना पाले जनता ने इंदिरा गांधी को धूल चटा दी। जनता सरकार को 54.43 फीसदी वोट मिले। 295 सीटों पर जीत हासिल की । जबकि इंदिरा गांधी को सिर्फ 154 सीटो (28.41) वोट पर जीत मिली । लेकिन ढाई बरस के भीतर ही जनता के सपने कुछ इस तरह चूर हुये कि 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी ही नहीं हुई। बल्कि जीत एतिहासिक रही और इंदिरा गांधी को 353 सीटों पर जीत मिली । और वोट ने रिकार्ड तोड़ा । क्योंकि 66.73 फिसदी वोट कांग्रेस को मिले ।

तो आपातकाल के खिलाफ आंदोलन या कहे आपातकाल से पहले भ्रष्टाचार – घोटाले – चापलूसी की हदों को पार करती इंदिरा के खिलाफ जब जेपी संघर्ष करने को तैयार हुये। संघपरिवार पीछे खड़ा हो गया । समूचा देश आंदोलन के लिये तैयार हो गया। लेकिन सत्ता मिली तो हुआ क्या। बेरोजगार के लिये रोजगार नहीं था। कालेज छोड़कर निकले छात्रों के लिये डिग्री या शिक्षा तक की व्यवस्था नहीं थी। महंगाई थमी नहीं। भ्रष्टाचार खत्म करने के नारे ही ढाई बरस तक लगते रहे । कोकाकोला और आईबीएम को देश से भगाकर अर्थव्यवस्था को समाजवादी सोच की पटरी पर लाने का सोचा तो गया लेकिन इसे लागू कैसे करना है ये तमीज तब सरकारों में जागी नहीं। और सत्ता के भीतर ही सत्ता के सत्ताधारियो का टकराव इस चरम पर भी पहुंचा कि 1979 में जब अटलबिहारी वाजपेयी पटना के कदमकुआं स्थित जेपी के घर पर जयप्रकाश नारायण से मिलने पहुंचे। वाजपेयी दिल्ली से सटे सूरजकुंड में होने वाली जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक को लेकर दिशा – निर्देश लेने और हालात बताने के बाद जेपी के घर से सीढियों से उतरने लगे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा , बातचीत में क्या निकला । वाजपेयी ने अपने अंदाज में जवाब दिया, '' उधर कुंड (सूरजकुंड), इधर कुआं (कदमकुआं) बीच में धुआं ही धुंआ।''और अजेय भारत का सच यही है कि हर सत्ता परिवर्तन के बाद सिवाय धुआं के कुछ किसी को नजर आता नहीं है । यानी 1977 में जिस सरकार के पास जनादेश की ताकत थी । जगजीवन राम, चरण सिंह, मधु दडवते, वाजपेयी, आडवाणी, जार्ज फर्नांडिस, प्रकाश सिंह बादल, हेमवंती नंदन बहुगुणा, शांति भूषण, बीजू पटनायक, मोहन धारिया सरीखे लोग मंत्रिमंडल में शामिल थे। उस सरकार के पास भी अजेय भारत का कोई सपना नहीं था । हां, फोर्जरी – घोटाले और कालेधन पर रोक के लिये नोटबंदी का फैसला तब भी लिया गया। 16 जनवरी 1978 को मोरारजी सरकार ने हजार, पांच हजार और दस हजार के नोट उसी रात से बंद कर दिये । उसी सच को प्रधानमंत्री मोदी ने 38 बरस बाद 8 नवंबर 2016 को दोहराया। पांच सौ और हजार रुपये के नोट को रद्दी का कागज कहकर ऐलान कर दिया कि अब कालेधन, आतंकवाद, फर्जरी – घपले पर रोक लग जायेगी। पर बदला क्या? देश का सबसे बड़ा परिवार तब भी सत्ता में था वह आज भी सत्ता में है । वैसे ये सवाल आजादी की आधी रात में जगमग होते संसद भवन के भीतर सपना जगाते नेहरु और कलकत्ता के बेलियाघाट में अंधेरे कमरे में बैठे महात्मा गांधी से लेकर दिल्ली में सत्ताधारी भाजपा के पांच सितारा हेडक्वाटर और 31 करोड बीपीएल घरों के भीतर के अंधेरे से भी समझा जा सकता है। फिर भी सत्ता ने खुद की सत्ता बरकरार रखने के लिये अपने को ''अजेय भारत'' से जोडा और जीत के गुणा भाग में फसे विपक्ष ने ''मोदी बनाम देश '' कहकर उस सोच से पल्ला झाड़ लिया कि आखिर न्यूनतम की लडाई लडते लडते देश की सत्ता तो लोकतंत्र को ही हडप ले रहा है और अजेय भारत इसी का अभ्यस्त हो चला है कि चुनाव लोकतंत्र है। जनादेश लोकतंत्र है। सत्ता लोकतंत्र है । अजेय भारत की राजधानी दिल्ली में भूख से मौत पर संसद – सत्ता को शर्म नहीं आती। पीने का साफ पानी मिले ना मिले, मिनरल वाटर से सत्ता स्वस्थ्य रहेगी, ये सोच नीति आयोग की उस बैठक में भी नजर आ जाती है जिसमें अजेय भारत के सबसे पिछडे 120 जिलों का जिक्र होता है। पांच बीमारु राज्य का जिक्र होता है । वह हर सत्ताधारी के आगे नीली ढक्कन वाली पानी की बोतल रहती है। और प्रधानमंत्री के सामने गुलाबी ढक्कन की बोतल रहती है। उच्च शिक्षा के लिये हजारों छात्र देश छोड दें तो भी असर नहीं पडता। बीते तीन बरस में सवा लाख बच्चो को पढ़ने के लिये वीजा दिया गया । ताल ठोंककर लोकसभा में मंत्री ही बताते है। इलाज बिना मौत की बढती संख्या भी मरने के बाद मिलने वाली रकम से राहत दे देगी। इसका एलान गरीबों के लिये इश्योरेंस के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राहत के तौर पर प्रधानमंत्री ही करते है। और ये सब इसलिये क्योंकि अजेय भारत का मतलब सत्ता और विपक्ष की परिभाषा तले सत्ता ना गंवाना या सत्ता पाना है। तो सत्ता बेफिक्र है कि उसने देश के तमाम संवैधानिक संस्थानों को खत्म कर दिया। विपक्ष फिक्रमंद है जनता को जगाये कैसे, वह जागती क्यों नहीं। सत्ता मान कर बैठी है पांच बरस की जीत का मतलब न्यायपालिका उसके निर्णयों के अनुकूल फैसला दे। चुनाव आयोग सत्तानुकूल होकर काम करें। सीबीआई, ईडी, आइटी, सीवीसी, सीआईसी, सीएजी के अधिकारी विरोध करने वालो की नींद हराम कर दें । और देश में सबकुछ खुशनुमा है इसे मीडिया कई रंग में दिखाये जिससे जनादेश देने वाली जनता के जहन में यह रच बस जाये कि अजेय भारत का मतलब अजेय सत्ता है। यानी मुश्किल ये नहीं है कि अजेय भारत में लोकतंत्र की जिस परिभाषा को सत्ता गढती आ रही है उसमें संविधान नहीं सत्ता का चुनावी एलान या मैनिफेस्टो ही संविधान मानने का दबाव है । मुश्किल तो ये है कि पंचायत से लेकर संसद तक और चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी तक या फिर हवलदार से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक में देश का हर नागरिक बराबर नहीं है। या कहे लोकतंत्र के नाम पर चुनावी राग ने ही जिस तरह ''अजेय भारत'' के सामानातंर ''अजेय राजनीति'' को देश में गढ दिया है उसमें नागरिक की पहचान आधार कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड नहीं है । बल्कि अजेय भारत में जाति कौन सी है। धर्म कौन सा है। देशभक्ति के नारे लगाने की ताकत कितनी है। और सत्ताधारी का इन्फास्ट्रक्चर ही देश का सिस्टम है। सुकुन वही है। रोजगार वही है। राहत वही है। तो 2014 से निकलकर 2018 तक आते आते जब अजेय भारत का सपना 2019 के चुनाव में जा छुपा है

तो अब समझना ये भी होगा कि 2019 का चुनाव या उसके बाद के हालात पारंपरिक राजनीति के नहीं होंगे। यानी भाजपा अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के सांसदों को झूठ नहीं कहा 2019 जीत गये तो 50 बरस तक राज करेंगे। और संसद में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी झूठ नहीं कहा कि नरेन्द्र मोदी – अमित शाह जानते है कि चुनाव हार गये तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। इसलिये ये हर हाल में चुनाव जीतना चाहते है। तो आखिर में सिर्फ यही नारा लगाइए, अबकी बार...आजादी की दरकार ।

महिलाओं के लिए ये कैसी लड़ाई जिसे महिलाओं का ही समर्थन नहीं

धार्मिक आस्था पर प्रहार करने के उद्देश्य से विरोधी ताकतों द्वारा जानबूझकर इस मुद्दे को संवैधानिक अधिकारों के नाम पर विवादित करने का कृत्य किया गया है। क्योंकि वे भलीभाँति जानते हैं कि विश्व के किसी भी कानून में इस विवाद का हल नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति में अगर श्रद्धा और आस्था है, तो गंगा का जल ''गंगा जल'' है नहीं तो बहता पानी। इसी प्रकार वो एक मनुष्य की आस्था ही है जो पत्थर में भगवान को देखती भी है और पूजती भी है। लेकिन क्या दुनिया का कोई संविधान या कानून उस जल में गंगा मैया के आस्तित्व को या फिर उस पत्थर में ईश्वर की सत्ता को सिद्द कर सकता है? – डॉ. नीलम महेंद्र –

मनुष्य की आस्था ही वो शक्ति होती है जो उसे विषम से विषम परिस्थितियों से लड़कर विजयश्री हासिल करने की शक्ति देती है। जब उस आस्था पर ही प्रहार करने के प्रयास किए जाते हैं, तो प्रयास्कर्ता स्वयं आग से खेल रहा होता है। क्योंकि वह यह भूल जाता है कि जिस आस्था पर वो प्रहार कर रहा है, वो शकित बनकर उसे ही घायल करने वाली है।

पहले शनि शिगणापुर, अब सबरीमाला। बराबरी और संविधान में प्राप्त समानता के अधिकार के नाम पर आखिर कब तक भारत की आत्मा, उसके मर्म, उसकी आस्था पर प्रहार किया जाएगा?

आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठ रहा है कि संविधान के दायरे में बंधे हमारे माननीय न्यायालय क्या अपने फैसलों से भारत की आत्मा के साथ न्याय कर पाते हैं? क्या संविधान और लोकतंत्र का उपयोग आज केवल एक दूसरे की रक्षा के लिए ही हो रहा है? कहीं इनकी रक्षा की आड़ में भारत की संस्कृति के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा?

यह सवाल इसलिये उठ रहे हैं क्योंकि यह बेहद खेदजनक है कि पिछले कुछ समय से उस देश में महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकारों की मांग लगातार उठाई जा रही है जिस देश की संस्कृति में सृष्टि के निर्माण के मूल में स्त्री पुरुष दोनों के समान योगदान को स्वयं शिव ने अपने अर्धनारीश्वर के रूप में व्यक्त किया हो।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को संविधान से मिलने वाले उनके अधिकारों के मद्देनजर उन्हें प्रवेश देने का आदेश जारी किया। लेकिन खुद महिलाएं ही इस आदेश के खिलाफ खड़ी हो गईं। महिला अधिकारों के लिए लड़ी जाने वाली यह कौन सी लड़ाई है जिसे महिलाओं का ही समर्थन प्राप्त नहीं है? आपको याद होगा कि यह फैसला 4:1 के बहुमत से आया था जिसमें एकमात्र महिला जज इंदु मल्होत्रा ने इस फैसला का विरोध किया था। क्योंकि यह विषय कानूनी अधिकारों का नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का है।और इसी धार्मिक आस्था पर प्रहार करने के उद्देश्य से विरोधी ताकतों द्वारा जानबूझकर इस मुद्दे को संवैधानिक अधिकारों के नाम पर विवादित करने का कृत्य किया गया है। क्योंकि वे भलीभाँति जानते हैं कि विश्व के किसी भी कानून में इस विवाद का हल नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति में अगर श्रद्धा और आस्था है, तो गंगा का जल ''गंगा जल'' है नहीं तो बहता पानी। इसी प्रकार वो एक मनुष्य की आस्था ही है जो पत्थर में भगवान को देखती भी है और पूजती भी है। लेकिन क्या दुनिया का कोई संविधान या कानून उस जल में गंगा मैया के आस्तित्व को या फिर उस पत्थर में ईश्वर की सत्ता को सिद्द कर सकता है?

यही कारण है कि न्यायालय के इस फैसले को उन्ही महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिनके हक में उसने फैसला सुनाया है। शायद इसीलिए कोर्ट के इस आदेश से प्रशासन के लिए भी बड़ी ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि मंदिर में वो ही औरतें प्रवेश चाहती हैं जिनकी न तो अय्यपा में आस्था है ना ही सालों पुरानी इस मंदिर की परंपरा में। जबकि जो महिलाएं अय्यपा के प्रति श्रद्धा रखती हैं, वो कोर्ट के आदेश के बावजूद ना तो खुद मंदिर में जाना चाहती हैं और न ही किसी और महिला को जाने देना चाहती हैं। तो यह महिलाओं का कौन सा वर्ग है जो अपने संवैधानिक अधिकारों के नाम पर मंदिर में प्रवेश की अनुमति चाहता है इस बात को समझने के लिए आप खुद ही समझदार हैं। अगर इसे अर्बन नक्सलवाद का ही एक रूप कहा जाय तो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब मन्दिर पर हमला किया गया हो। हाँ, लेकिन इसे पहला बौद्धिक हमला अवश्य कहा जा सकता है क्योंकि इसमें मंदिर के भौतिक स्वरूप को हानी पंहुचाने के बजाय लोगों की सोच, उनकी आस्था पर प्रहार करने का दुस्साहस किया गया है। इससे पहले 1950 में मंदिर को जलाने का प्रयास किया गया था।और 2016 की दिसम्बर में मंदिर के पास 360 किलो विस्फोटक पाया गया था। आशंका है कि यह विस्फोटक सामग्री 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए लाई गई थी लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों की जागरूकता से अनहोनी होने से बच गई और यह देश विरोधी ताकतें अपने लक्ष्य में नाकामयाब रही।

जब इन लोगों की इस प्रकार की गैरकानूनी कोशिशें बेकार हो गईं तो इन्होंने कानून का ही सहारा लेकर अपने मंसूबों को अंजाम देने के प्रयास शुरू कर दिए। वैसे इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि अपनी देश विरोधी गतिविधियों के लिए ये देश के ही संविधान का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये लोग यह भूल रहे हैं कि जिस देश की संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लगभग 1200 साल की गुलामी के बाद आज भी गर्व से लेहरा रहा है, उस देश की आस्था को कानून के दायरे में कैद करना असंभव है। यह साबित कर दिया है केरल की महिलाओं ने जो कोर्ट के फैसले के सामने दीवार बनकर खड़ी हैं।

जो हिन्दू हित की बात करेगा वो हिन्दुस्तान पर राज करेगा:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत न्यू इंडिया में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण और हिन्दू हितों को सर्वोपरि बताया है।

युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा 'एक राष्ट्र के तौर पर हम सभी धर्मों का सम्मान, आदर करते हैं और सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। मगर हिन्दू होने के नाते मैं साफ करना चाहूँगा कि इस देश में विपक्ष द्वारा की जा रही तुष्टीकरण राजनीति का कोई स्थान नही है। इस देश में हिन्दू हित सर्वोपरि है और इस देश में वही राज करेगा जो हिन्दू हितों की बात करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की युवा शक्ति में पूरा विश्वास है और उन्हें पता है कि 2022 का नया भारत – न्यू इंडिया बिना युवा की भागीदारी से संभव नही है। युवा की परिभाषा को जिस तरह से मोदी जी ने समझा है वैसा 70 सालो में किसी ने नही समझा था। युवा को सिर्फ शिक्षा और रोजगार के मुद्दों तक सीमित समझा गया था। वो रोजगार देने वाला बन सकता है ऐसा सोचने वाले सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री हैं।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था 21 वीं शताब्दी में भारत विश्वगुरु बनेगा और इसमें युवाओं की भूमिका काफी अहम होगी। दुनिया भर में क्रांति युवाओं के कंधे पर चढ़ कर आई है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 एक नए भारत का सपना देखा है सबके लिए समानता के बराबर अवसर होगे। ये एक ऐसा समय है जब हम एक नया भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं की भागीदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

अनुराग ठाकुर ने कहा केवल सपने देखने से नहीं बल्कि देखे गए सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और संकल्प की ज़रूरत होती है। कल भले ही आप अपने जीवन में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल कर लें मगर जिससे आप परिवर्तन ला सकते हैं विकास के नए रास्ते खोल सकते हैं वो जज़्बा अपने अंदर ज़रूर बरक़रार रखें। आप में से हर एक देश के विकास के लिए कैसे योगदान करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। हमारी दुनिया और देश में असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह आप ही है जिन्हें यह तय करना है कि हम उनसे कैसे निपटे। अच्छे नेता आज की समस्याओं का समाधान करते हैं, जबकि महान नेताओं पीढ़ियों की समस्या का समाधान करते हैं। नेतृत्व हस्तांतरित होने की प्रकिया है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसने कई राजनैतिक नेताओं के उदय को देखा है। अपनी मेहनत और लगन से कोई आम कार्यकर्ता शिखर तक का सफ़र तय कर सकता है।

राज्य एकल खिड़की स्वीकृति बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। प्राधिकरण ने 377.45 करोड़ रुपये का निवेश तथा 690 लोगों के लिए रोज़गार क्षमता की नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने और मौजूदा इकाईयों के विस्तार के लिए 12 प्रस्तावों को मंज़ूरी प्रदान की।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए नए प्रस्तावों में मक्खन, पास्चराईज्ड मिल्क व लस्सी इत्यादि के उत्पादन के लिए ऊना ज़िला के हरोली के श्यामपुरा गांव के मैसर्ज विजन फेश एण्ड फोजन, ऑक्सीजन के निर्माण के लिए कांगड़ा ज़िले की पालमपुर तहसील के राख गांव के मैसर्ज रवि एंटरप्राईजिज, इलेक्ट्रिकल पावर के निर्माण के लिए ऊना ज़िले की तसहील उप मोहाल चोख्याल के गांव बेहदला के मैसर्ज ए.जी. डैटर्ज वेस्ट प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड तथा जैम और चटनी के निर्माण के लिए शिमला ज़िले के कुमारसैन के गांव बघारी के मैसर्ज माई शिमला फूट प्लेयर्ज प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं।

इसी प्रकार, विस्तार प्रस्तावों में बड़ी मात्र में दवाइयां तथा प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के लिए सोलन ज़िले के बद्दी के गांव मलकुमाजरा के मैसर्ज मोरपन लैबोरेट्रीज, सोलन ज़िले के बद्दी तहसील के मानपुरा गांव के मैसर्ज आइटीसी लिमिटेड को साबुन, शैम्पू, शावर जैल, क्रीम, लोशन व परफ्यूम के निर्माण के लिए, सोलन ज़िले के कौंडी गांव के मैसर्ज अलफा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड यूनिट – 2 को प्लास्टिक की बोतलें व कप निर्माण के लिए, सिरमौर ज़िले के पांवटा साहिब स्थित औद्योगिक क्षेत्र गौंदपुर के मैसर्ज एन.एस. इंडस्ट्रीज यूनिट – 2 को गत्ते के बक्से, लेबल, ली"लेट्स, प्लास्टिक के डब्बे व अन्य सामान बनाने, सोलन ज़िले के बद्दी स्थित मैसर्ज आर.सी.आई. इंडस्ट्रीज व टैक्नाल जी लिमिटेड को ताबे की वस्तुओं के निर्माण के लिए, सोलन ज़िले के बद्दी – बरोटीवाला के बेटिड गांव के मैसर्ज फेंडस एलोवायस को इनगट सिल्लियां बनाने के लिए, सिरमौर ज़िले के कालाअम्ब स्थित ओगली गांव के मैसर्ज जसवाल मेटल प्राईवेट लिमिटेड को एम.एस./एस. एस. इनगट्स, एसएस चौड़ी स्टील पत्ति, एम.एस. रांउड अथवा टोर के निर्माण के लिए, सोलन ज़िला के बद्दी स्थित कथागांव के मैसर्ज हिमालया कम्युनिकेशनस लिमिटेड को एचडीपीइ पाईपों, ऑप्टिकल फाईबर केबलस, नॉन फेरस मेटल्स, जैलीयुक्त टेलिफोन तारें तथा पीवीसी केबल्स के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, सचिव उद्योग मनोज कुमार, श्रम आयुक्त व निदेशक बी.सी. बडालिया, उद्योग निदेशक हंसराज शर्मा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर प्रवीण गुप्ता भी उपस्थित थे।

कर्मचारियों–पेंशनरों को दिवाली पर 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा

शिमला/शैल। सप्ताह भर चलने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लोकनृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा – 2018 भारी उत्साह व उल्लास के साथ संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेने वाले देवी – देवताओं

के नज़राने में 5 प्रतिशत और दूरी भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।

उन्होंने देवी – देवताओं के बजंतरियों को दी जाने वाली राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के अतिरिक्त हरिपुर व मणिकर्ण के दशहरा उत्सव के लिए 75,000 रुपये और वशिष्ठ में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के लिए 50,000 रुपये का प्रावधान करने की भी घोषणा की।

इस अवसर पर प्रदेशवासियों को आगामी दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों और पैंशनरों को दिवाली के उपहार के रूप में महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की जो पहली जनवरी 2018 से देय होगा। इससे प्रदेश सरकार पर 200 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू में निर्माणाधीन अटल दशहरा सदन के लिए साढ़े चार करोड़ का अतिरिक्त बजट जारी किया जाएगा और उपायुक्त कार्यालय परिसर के आधुनिक भवन के लिए भी चार करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की संस्कृति के संवधन में दशहरा उत्सव के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ – साथ यह उत्सव पर्यटन, व्यावसायिक और मनोरंजन की दृष्टि से भी विख्यात है, जिसमें देश – विदेश के पर्यटक भाग लेते हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिजली महादेव को रज्जू मार्ग से जोड़ा जाएगा। उड़ान योजना के द्वितीय चरण में प्रदेश के पर्यटक स्थलों को हैली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति के साथ – साथ इसके पर्यावरण का संरक्षण करना भी अनिवार्य है। उन्होंने दिवाली के त्यौहार को सुरक्षित रूप से मनाने और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की अपील भी की और कहा कि ढालपुर के ऐतिहासिक मैदान का संरक्षण भी आवश्यक है, ताकि दशहरा जैसे अन्य ऐतिहासिक उत्सवों का पारंपरिक ढंग से आयोजन होता रहे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सहमति और प्रशासनिक सुझावों के आधार पर उन ग्रामीण क्षेत्रों को राहत प्रदान की जाएगी जो अभी प्लानिंग एरिया में शामिल हैं।

पिछले माह लाहौल – स्पिति जिले में भारी बर्फबारी से सेब की फसल को हुए नुकसान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 20 रुपये प्रतिकिलो की दर से सेब खरीदकर बागवानों को राहत प्रदान करने के अलावा नए पौधारोपण पर भी सब्सिडी प्रदान करेगी।

समापन समारोह में दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं वन, परिवहन, युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। उत्सव समिति के उपाध्यक्ष एवं उपायुक्त यूनुस ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत किया और दशहरा उत्सव के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने उन देवी – देवताओं, जिनकी भूमि मुजारों में बंट गई है, को भाषा और संस्कृति विभाग की आवर्ती निधि योजना के तहत चैक वितरित किए तथा विभाग द्वारा आयोजित राज्य व जिला स्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर बेहतर प्रदर्शनियां लगाने वाले किसान – बागवान भी पुरस्कृत किए गए।

सशक्त महिलायें हैं सशक्त समाज का आधार:सरवीन चौधरी

शिमला/शैल। सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतू विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं और इन योजनाओं का उद्देश्य समाज में महिलाओं और बेटियों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के साथ – साथ लोगों में नारी शक्ति के प्रति और अधिक जागरूकता पैदा करना है।

यह विचार शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी ने शाहपुर में आयोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चेक वितरण समारोह में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि बेटियां हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ – साथ उनकी सुरक्षा को पुख्ता करना भी हम सबका दायित्व है।

इस दौरान ''बेटी है अनमोल'' के अंतर्गत शहरी विकास मंत्री ने 50 बेटियों को दस – दस हजार रुपये की एफडी भेंट की। उन्होंने उथला नलकूप व पम्पिंग मशीनरी के अंतर्गत 12 लाभार्थियों को लगभग नौ लाख के अनुदान राशि के चेक तथा अपनी ऐच्छिक निधि से 29 लाभर्थियों को 4 लाख 52 हजार रुपये के चेक वितरित किये।

इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्री ने 66 गृहिणियों को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिये गये।

त्योहारों में अनहोनी घटना से बचने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निदेश

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मनीषा नन्दा ने सभी उपायुक्तों को राज्य में किसी भी घटना विशेषकर बड़े आयोजनों मेले व त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबन्धन के लिए बेहतर तैयारियां सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक सलाह व दिशा – निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि दिवाली आयोजनों की तैयारियों के विशेष प्रबन्ध किए जाने चाहिए। दिवाली स्टॉल आवंटन, अग्निशमन वाहन की तैयारियों, गृह रक्षक, स्वयं सेवियों, रक्तदाताओं की सूचियां तैयार रखना, व्यापार मण्डल, अस्पताल व पुलिस की तैयारियों के अतिरिक्त इसमें गैर सरकारी संगठनों व लोगों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो, यदि कुछ अप्रिय घटना घटित होती है तो उससे निपटने के लिए उचित योजना तैयार की जाए। मनीषा नन्दा ने सभी उपायुक्तों को सभी संबंधित उपमण्डलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, लोक निर्माण व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशाषी अभियन्ताओं, पुलिस तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व अन्य हितधारकों के साथ बैठकें करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मण्डलायुक्तों को इन कार्यों की निगरानी करने के अतिरिक्त किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बहुमूल्य सुझाव देने को कहा।

सी बी आई के विशेष निदेशक अस्थाना के खिलाफ दर्ज हुई एफ आई आर

शिमला/शैल। सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों निदेशक और विशेष निदेशक के बीच चले आ रहे विवाद में अस्थाना के विरूद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 15.10.2018 को दर्ज हुई एफआईआर पीसी एक्ट की धारा 7 & 13(2) R/W 13 (1) (d) और धारा 7A के तहत दर्ज की गयी है। स्मरणीय है कि मोदी सरकार ने पीसी एक्ट संशोधित कर दिया है। नया एक्ट 27 जुलाई को अधिसूचित होने के बाद लागू हो गया है। संशोधित एक्ट के लागू होने के बाद इसमें यह प्रावधान किया है कि मामला दर्ज करने से पहले सरकार से अनुमति ली जायेगी। लेकिन इसमें अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई अनुमति नही ली गयी है। इसी आधार पर इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। यहां यह भी गौरतलब है कि इस एफआईआर में नये और पुराने दोनों अधिनियमों का सहारा लिया गया है। इस मामले में अदालत का निर्णय क्या आता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस एफआईआर को देखने के बाद सीबीआई के भीतर की स्थिति का पता चल जाता है और इसी उद्देश्य से यह एफआईआर पाठकों के सामने रखी जा रही है।

INFORMATION

A complaint dated 15.10.2018 has been received from Shri Sathish Babu Sana S/o Late Shri Sana Subba Rao R/o Villa 72, Hill Ridge Villas, Besides Indian School of Business, Gachibowli,, Hyderabad (Telangana). The complaint is annexed herewith.

The acts of the public servants and private persons namely Shri Rakesh Asthana, Special Director, CBI, New Delhi, Shri Devender Kumar, DSP, CBI, SIT, New Delhi, Shri Manoj Prasad, Shri Somesh Prasad as mentioned in the complaint prima facie disclose the commission of offences punishable under section 120B IPC and section 7, and 13(2) r/w 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act 1988 and section 7A of Prevention of Corruption Act (as amended in 2018).

Therefore, a Regular Case is registered against Shri Rakesh Asthana, Special Director, CBI, New Delhi, Shri Devender Kumar, DSP, CBI, SIT, New Delhi, Shri Manoj Prasad, Shri Somesh Prasad and other unknown public servants and private persons and entrusted to Shri Ajay Kumar Bassi, DSP, CBI, AC.III, New Delhi for investigation.

(SS Gurm) 15.10.18
Superintendent of Police
CBI/AC.III/New Delhi

SUPDT. OF POLICE
CBI/AC III, N DELHI

Endst No. 3/13(A)/2018-AC.III/ 59-64 dated 15/10/2018

1. The Special Judge for CBI cases, Patiala House, New Delhi.
2. The Secretary, CVC, INA, New Delhi.
3. The Joint Director (P), CBI, New Delhi.
4. The HoZ/AC(HQ)-I, CBI, New Delhi.
5. Head of Branch, CBI, AC.III, New Delhi
6. Shri Ajay Kumar Bassi, DSP, CBI, AC.III, New Delhi.

-1-

To

The Director
Central Bureau of Investigation
New Delhi.

Sub: Complaint against harassment and extortion. – reg.

Sir,

It is submitted that I received a notice from Shri Devender Kumar, Deputy Superintendent of Police, CBI, New Delhi u/s 160 of Cr.PC on 09.10.2017 directing me to appear before him at CBI Office, New Delhi on 12.10.2017. The case details mentioned in the said notice as RC 2242017A0001 against Moin Akhtar Qureshi & others. Accordingly, I appeared before DSP, CBI, Shri Devender Kumar on 12.10.2017 at his office at New Delhi where Shri Devender Kumar questioned me about my relations with Moin Akhtar Qureshi and I was also made to listen some audio conversation between me and Moin Akhtar Qureshi about bail matter of one Sukesh Gupta. I explained in detail my relationship with Shri Qureshi to DSP Shri Devender Kumar on 12.10.2017 who recorded my statement and thereafter I was allowed to go home.

It is further submitted that I received another notice on 17.10.2017 from aforesaid Sh. Devender Kumar, DSP CBI whereby I was asked to attend CBI Office, New Delhi on 23.10.2017 which I did. On this day, I was again asked the same questions including about giving Rs. 50 lakhs by me to Shri Qureshi in the year 2011. I informed the aforesaid officer that I had invested Rs 50 lakhs in Qureshi's company namely M/s Great Height Infra, which was a genuine transaction and even declared by me in my income tax returns. Thereafter, I was allowed to go home.

It is further submitted that I was again called at CBI office, New Delhi on 01.11.2017 and surprisingly the said Sh. Devender Kumar again asked me the same questions. On this day, Shri Sukesh Gupta, Shabbir Ali and Moin Akhtar Qureshi were also present in the CBI office. On questioning, Shri Sukesh Gupta, Shabbir Ali and Moin Akhtar Qureshi had given the same answers which I had already given to the Investigating Officer Shri Devender Kumar. But the IO told me that I had paid Rs 50 lakhs to Qureshi for Vanpic case, which I denied. I once again submitted that I am innocent and I was not at all involved in the Vanpic Case.

Thereafter, I was once again called at CBI Office, New Delhi on 30.11.2017. As I had some urgent personal commitments, I expressed my inability to attend CBI

-2-

office. However, I assured the IO that I would send all my account details as desired by him, through courier. Accordingly, I sent the same through Courier Service.

Thereafter, I left for Dubai on 02.12.2017 from Hyderabad for some business meeting. As I fell ill, I stayed there for about 15-20 days. During this visit to Dubai, I met Shri Manoj Prasad, who is known to me for the last about ten years. He is an investment banker in Dubai and running business in the name and style of Q Capital at Dubai. During the conversation, I informed him about mine being summoned at CBI office, New Delhi in a CBI case and narrated about the matter. On that, Sh. Manoj Prasad informed that he has very good connections in CBI and further assured me that he would help me out in the CBI case by using these connections in CBI and through his brother Shri Somesh Prasad. Shri Manoj Prasad introduced me with his brother in his office. Thereafter, Shri Somesh Prasad called a CBI officer over telephone in my presence as well as in the presence of Shri Manoj Prasad and explained my issue to him. After talking to the said CBI officer over phone, he assured me that my problem would be solved and no further notices will be issued to me by the CBI. Sh. Somesh Prasad further told me that I will have to pay an amount of Rs. 5 crores to the CBI officer through him. Sh. Somesh Prasad further informed that in order to get favour in the case from the CBI officer, I will have to pay an amount of Rs 3 crores as an advance and remaining amount of Rs. 2 crores at the time of filing chargesheet in the case, and in lieu of this money, the said CBI officer would manage clean chit to me.

It is further submitted that upon enquiries by me about the CBI officer to whom he spoke over phone in my presence, Sh. Somesh Prasad showed me the DP of his whatsapp contact picture, as available in his mobile phone, by stating that he was the CBI officer to whom he spoke and who assured favour to me in the CBI case in lieu of payment of Rs. 5 crore. The said picture was of an officer in the police uniform. Shri Somesh Prasad disclosed the identity of the CBI officer to whom he talked in my presence and whose photo was available in the DP as Shri Rakesh Asthana, Special Director in CBI. Later on, I checked the photograph of Shri Rakesh Asthana through Google and found that the photographs available on google search were the same as available in DP/contact list of Shri Somesh Prasad.

Believing them and to get rid of unbearable harassment and mental agony being faced by me and by my family, I arranged and paid an amount equivalent to INR Rs. 1 Crore to Shri Manoj Prasad at his office in Dubai. Thereafter, on being informed by Shri Somesh Prasad about the details of one Sh. Sunil Mittal (Mobile No. 9810058407), his contact person, I arranged payment of an amount of Rs. 1.95 crores to Shri Sunil Mittal. This payment was made on 13.12.2017 at about 09.25 PM

in the Parking area of Press Club of India, Raisina Road, New Delhi through one of my office person namely Punit, who was using mobile phone No.9654429000. I insisted for giving confidence of their efforts.

Immediately after the payment materialised, on 14th, Shri Somesh Prasad travelled to India. In next one or two days (may be 15th or 16th of December), during evening hours, he called me on my Dubai number from his Singapore number, mostly on whattsapp, and informed me that he would call me from the said CBI officer's room at Delhi. Within 5 minutes, he again called me on my Dubai number and asked me to listen to the conversation and he kept the phone/call on line to make me hear the conversation. Thereafter, I heard the voice of some person who was talking to another person. They first talked about some other matter and thereafter they started talking about my matter. I heard that the officer was giving instruction to some another person to look into my matter and thereafter, he disconnected the call by replying 'Jai Hind'. After about ten minutes, Shri Somesh Prasad again called me and informed me that I had listened to the voice of Shri Rakesh Asthana whose photograph was shown to me by him and he further told me that Mr Rakesh Asthana would take care of my CBI case in lieu of the payment of Rs. 5 crore as agreed earlier. I got confident and I came back to India on 21.12.2017.

When I met Somesh in Dubai, during discussion he said that Shri Rakesh Asthana will surely do the work as he (Somesh) manages his investment in Dubai and London for last many years. He further informed that Shri Rakesh Asthana stayed at his home in London last year. He also mentioned name of officers Samant Goel and Pervez Hayat with whom he is in touch with.

However, subsequently there was immense pressure on me to part with more money. I was also informed by Manoj that he is getting frequent messages from Somesh telling him that he is under lot of pressure from the concerned CBI officer for delivery of money. Manoj once disclosed to me that there are frequent exchanges of whatsapp messages between him and Somesh to this effect, which also includes some of the messages received by Somesh from concerned. I was repeatedly put under immense duress for parting of money. I have given some money during this period on multiple occasions to get relief from the intense pressure.

Thereafter, I did not receive any notice from the CBI after paying a sum of Rs. 2.95 crores to Shri Manoj Prasad in the above mentioned case of CBI. But to my utter surprise, I received another notice u/s 160 Cr.PC through e-mail on 13.02.2018 from Shri Devinder Kumar, DSP, CBI directing me to appear before him at CBI

-4-

Office, New Delhi on 19.02.2018. Since I was quite disturbed that even after paying a sum of Rs. 2.95 crores which I had managed with great difficulties, I was issued another notice by the CBI, I immediately talked to Shri Manoj Prasad over telephone and informed that I had again received a notice from CBI, which is against the promise given to me by him. On that, Shri Manoj Prasad informed me that I had to pay the balance amount of Rs 2 crore to avoid issuance of further notices from CBI and getting full relief from CBI. I told Shri Manoj Prasad that I would come to Dubai and discuss with him in detail in this regard. Shri Manoj Prasad asked me to attend CBI office on 19.02.2018 and assured me that my work is being done and CBI officer will handle me very softly. Accordingly, I attended the CBI office, New Delhi on 20.02.2018 with the oral permission of DSP Shri Devinder Kumar. I was again questioned on the same points viz giving 50 lakhs to Moin Akhtar Qureshi in 2011 and the IO again put to me that I had paid Rs 50 lakhs as bribe to Qureshi for coming out in Vanpic case investigated by CBI to which I again denied. I was also confronted with Moin Akhtar Qureshi on 20.02.2018 and he also denied of taking Rs 50 lakhs as bribe from me. Thereafter, IO DSP Shri Devinder Kumar again directed me to appear before him at CBI Office on 21.02.2018 but I left for Dubai on 20.02.2018 evening from Delhi and met Shri Manoj Prasad at Dubai. Shri Manoj Prasad informed me that Somesh Prasad is not in Dubai as he is travelling and asked me to pay the rest of the amount/whole of the amount to get my issue settled. Shri Manoj Prasad further informed me that the concerned CBI officer is also flying to Dubai and I could meet him at Dubai, but I told him that I would not meet anyone and requested him to resolve my issue at his own at the earliest as even after making to pay so much money, I was being harassed.

Thereafter, I got a mail from DSP Shri Devender Kumar on 26.02.2018, asking me to send bank account as well as transaction details which I had sent with necessary documents through e mail and by courier on 21.03.2018. Thereafter, I did not receive any further notice from CBI till the end of May, 2018.

I again received a notice from DSP Shri Devender Kumar on 05.06.2018 to attend CBI office on 09.06.2018 at New Delhi, but I requested the IO on telephone probably on 06.06.2018 for some another date for attending CBI office. DSP Shri Devender Kumar directed me to come along with my accountant on the next date for explaining the accounts. Thereafter, I did not receive any notice from CBI till 24.09.2018.

I further submit that in the night of 25.09.2018, while I was leaving for Paris along with my family by Emirates Airlines, I was stopped at Hyderabad Airport by Immigration officers. The Immigration Officer informed me that they have

-5-

instructions in the form of Look Out Circular not to allow me to leave India and directed me to report to SP, CBI, New Delhi on 26.09.2018. I was totally disturbed at this development. I contacted DSP Shri Devender Kumar on telephone and asked him as to why Look Out Circular was opened against me when I had attended the CBI office regularly. He asked me to appear at CBI Office, New Delhi on 27.09.2018. However, as I was suffering from viral fever, I informed Sh. Devender Kumar, DSP on 27th morning through SMS that I would be able to attend the CBI office, New Delhi on 01.10.2018.

Accordingly, I attended CBI Office, New Delhi on 01.10.2018 and met DSP Shri Devender Kumar who took me to his SP Shri Jagroop. SP Shri Jagroop asked me why I was going to France. On that I clarified to him that I was going to France for admission of my son but he told me that I should have informed CBI before going to France. I was made to sit in CBI office on 1.10.2018 till 7 PM and thereafter both the aforesaid officers took me to Shri Sai Manohar, Joint Director, CBI. Shri Sai Manohar enquired from me why I was having partnership with Moin Akhtar Qureshi to which I denied. Shri Sai Manohar told me that I am lying and I am a Common Director in six companies and indulging in benami transactions with Moin Akhtar Qureshi. Thereafter, Shri Sai Manohar called the files and checked the same but he did not find my name as Director in any company. They directed me to appear again at CBI office on 3.10.2018. Shri Jagroop, SP CBI directed me to submit my handwritten statement explaining about my relations with Sukesh Gupta and with Moin Akhtar Qureshi. I remained in Delhi on 02.10.2018 and prepared my statement and submitted the same to IO DSP CBI Shri Devender Kumar on 03.10.2018. The IO told me that I am still not telling the truth and called me again on 09.10.2018 and issued notice for the same.

I have already disclosed gist of these facts before the Hon'ble Court in my statement recorded u/s 164 of Cr.PC at Delhi.

This fact disturbed me to a great extent and I became very afraid and contacted Shri Manoj Prasad to get me relief from this notice. I had made many communications including whatsapp calls and whatsapp messages with Shri Manoj Prasad. Shri Manoj Prasad replied that this all is happening due to non payment of balance amount to which I replied that the same will be made soon. Shri Manoj Prasad informed me that he has spoken to the concerned CBI officer and he has been informed that the CBI will not harass or arrest me. I was made to promise to pay Rs. 2 crores and on 9th morning as per the instructions of Shri Manoj Prasad, I sent an email expressing my inability to attend CBI office because of illness. There has been no communications from the IO after this.

-6-

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

डॉक्टरों की कॉलोनी पर लगा 3.2 करोड़ का जुर्माना
प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक और सवाल

शिमला। एनजीटी ने पंथाघाटी में बन रही डाक्टरों की कॉलोनी के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाते हुए डाक्टरों की हाउसिंग सोसायटी को विभिन्न नियमों की उल्लंघना करने के लिए तीन करोड़ 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है।

इस रकम में से सोसायटी को 75 फीसद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बाकी 25 फीसद रकम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करानी होगी। पंचाट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायिक सदस्यों जावेद रहीम व एसपी वांगड़ी और विशेषज्ञ सदस्य नगीन नंदा की पीठ ने स्थानीय नागरिक विद्या शाडिल की याचिका पर यह आदेश दिए हैं। याद रहे नगीन नंदा प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व सदस्य सचिव रह चुके हैं।

पंचाट की चार सदस्यीय इस पीठ ने साथ ही यह भी आदेश दिए है कि इस मामले की पड़ताल पंचाट के आदेशों पर शिमला में किसी भी तरह के निर्माण की मंजूरी के लिए गठित सुपरवाइजरी कमेटी करे और यह समीति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पंचाट को पेश करे।

पीठ ने कहा कि अगर वह सोसायटी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट होगी तो आगामी निर्माण के बारे में विचार करेगी। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि आईजीएमसी डाक्टर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को पंथाघाटी में कॉलोनी बनाने के लिए नगर निगम ने छह फरवरी 2010 को मंजूरी दे दी थी। लेकिन सोसायटी ने इस बावत पर्यावरण के विभिन्न प्रावधानों के तहत टीसीपी से कोई मंजूरी नहीं ली। जबकि यह मंजूरी लेना जरूरी था। इसके अलावा पर्यावरण मंजूरी भी नहीं ली। इसके तहत सीवरेज, यातायात, सड़क निर्माण, ठोस कचरे के निपटान, ढलान की मजबूती व इनके पर्यावरण पर पड़ने वालों प्रभावों का आकलन किया जाना था।

सोसायटी का 32 करोड़ 48 लाख रुपए के यह प्रोजेक्ट 21057. 931 वर्ग मीटर पर बनाना था व पर्यावरण नियमों के मुताबिक सासोयटी को 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन करवाना होता हैं। लेकिन सोसायटी ने कुछ नही किया। जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोसायटी को नोटिस भेजे तो भारी निर्माण होने के बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन करवाया गया। जो कि हो ही नही सकता था। यह आकलन निर्माण करने से पहले होता है।

इस बीच 16 दिसंबर 2015 को सोसायटी ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण में मंजूरी के लिए आवेदन किया। प्राधिकरण ने 15 अक्तूबर 2016 को पर्यावरण मंजूरी दे दी। लेकिन साथ ही शर्त लगा दी कि सोसायटी को यहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा या नगर निगम की सीवरेज लाइन से कनेक्शन लेना होगा।

पीठ ने कहा कि राज्य विशेषज्ञ अप्रेजल कमेटी पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किए बिना पर्यावरण की मंजूरी नही दे सकती थी और अगर अध्ययन में उल्लंघन पाया जाता तो मंजूरी केंद्र से मिलनी थी। लेकिन ऐसा नही हुआ।

पीठ ने कहा कि नियमों के मुताबिक पंचाट के पास दो ही विकल्प हैं या तो बने सभी फ्लैटों को ढहा दिया जाए या सुरक्षा प्रावधानों का पालन करवाकर निर्माण को जारी रखने की इजाजत दी जाए।

पीठ ने कहा कि जहां पर निर्माण पहले हो गया है और पर्यावरण की मंजूरी नही ली गई है ऐसे मामलों के लिए केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2017 को एक अधिसूचना जारी की थी व इसके प्रावधानों के तहत सोसायटी को कदम उठाने थे। पीठ ने कहा कि सोसायटी को तीन महीने का समय दिया गया लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ।

पीठ ने कहा कि सोसायटी ने परियोजना शुरू करने से पहले न पर्यावरण मंजूरी मांगी और न ही केंद्र मंत्रालय की 14 मार्च 2017 की अधिसूचना के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर अमल किया। इसके अलावा सोसायटी ने राजधानी में निर्माण के लिए पंचाट की ओर से गठित सुपरवाइजरी कमेटी जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास हैं, से अपने मामले की पड़ताल करवाई। जबकि सोसायटी ऐसा कर सकती थी।

पीठ ने कहा कि ऐसे में सेसायटी को या तो सारे फ्लैट ढहाने होंगे या पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने होंगे। उसके बाद अगर पंचाट संतुष्ट हुआ तो निर्माण की इजाजत दी जाएगी। सोसायटी में डेढ सौ के करीब सदस्य हैं जिनमें से पचास से ज्यादा आइजीएमसी के डाक्टर हैं। पिछली सरकार में इस परियोजना को लेकर बहुत कुछ रसूख के दम पर हुआ था। लेकिन अब इस आदेश के आने के बाद डाक्टरों के हाथपांव फूल गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि नियमों को ताक पर रखकर मंजूरियां दी क्यों गई।

प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से कुल एक किलोमीटर की दूरी पर बन रही इस कॉलोनी के कर्ताधर्ताओं को बोर्ड के अधिकारी ने 23 जून 2014, 18 जुलाई 2014, 4 अगस्त 2014, 7 अप्रैल 2015, 18 जून 2015 और 20 अक्तूबर 2015 को चिठियां लिखकर सोसायटी को निर्माण न करने के निर्देश देते रहे। लेकिन ये काम नहीं रुका। कायदे से बोर्ड को तीन नोटिस देने के बाद सोसायटी के खिलाफ मुकद्दमा दायर कर देना चाहिए था। लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया और काम चलता रहा। बोर्ड ने इस बारे में नगर निगम को भी अवगत कराया कि वो इस कॉलोनी का निर्माण कार्य रुकवाए। लेकिन धूमल सरकार व वीरभद्र सिंह सरकार में रसूखदारों ने ऐसा हाहाकार मचाया कि न तो काम निगम ने रुकवाया और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुकद्दमा दायर किया।

सोसायटी ने पंथाघाटी में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से बिना अनुमति लिए 20 हजार वर्ग से ज्यादा इलाके में निर्माण कर दिया।(जबकि सोसायटी ने नगर निगम से 14000 वर्ग मीटर में इस सोसायटी का निर्माण करने का नक्शा पास करवा लिया था। सारा घपला यहीं हुआ है। बताते है कि ये सारा मामला धूमल सरकार के दौरान 2008 से लेकर 2012 के बीच हो गया। अब सोसायटी के आका भांडा निगम पर फोड़ने पर आ गए है।

सोसायटी के कर्ताधर्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने नक्शा पास करवाया तो निगम ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी मंजूरी लेनी लाजिमी है। इसके अलावा पर्यावरण मंजूरी का भी कोई झमेला नहीं था। हालांकि ये कर्ताधर्ता सही कह रहे हैं। पर्यावरण मंजूरी लेने की जरूरत तब पड़ती है अगर बिल्ट अप एरिया 20 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा हो। सूत्रों के मुताबिक जब नक्शा पास कराया गया था तो ये 20 हजार वर्ग मीटर से कम ही था। लेकिन जब सोसायटी ने पर्यावरण विभाग से पर्यावरण मंजूरी मांगी तो सोसायटी के दस्तावेजों में ये बिल्ट अप एरिया 21 हजार से ज्यादा सामने आ गया। मामला एनजीटी पहुंचा व अब ये आदेश आ गया है। अब देखना ये है कि इंप्लीमेंटेशन कमेटी व सुपरवाइजरी कमेटी क्या करती है।

मैडिकल सर्टीफिक्ट जारी करने में घपला होने की आशंका

शिमला/शैल। जिला शिमला के सांख्यिकीय कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक प्रेम ठाकुर ने 21.5.2018 से 13.7.2018 तक मैडिकल सर्टीफिकेट अपने विभाग में सौंपा है क्योंकि इस दौरान वह छुट्टी पर थे। यह 55 दिन का मैडिकल सर्टीफिकेट आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डा.राहुल गुप्ता के हस्ताक्षरों से जारी हुआ है। जब यह मैडिकल विभाग को प्रस्तुत किया गया तभी इसके जाली होने की शिकायत हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव द्वारा कर दी गयी। शिकायत आने के बाद विभाग ने अपने स्तर पर जांच करने के बाद पाया कि डा. राहुल गुप्ता आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के पद पर ही तैनात नही है और यह सर्टीफिकेट जारी करने के लिये अधीकृत हैं। क्योंकि वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के पद पर डॉ.जनक राज तैनात हैं और यह पद पूरी तरह प्रशासनिक है। जबकि डा. राहुल गुप्ता ने जो बीमारी प्रमाण पत्र में बताई है वह अस्थि विभाग या न्यूरो विभाग से संबधित है और डा. राहुल गुप्ता फॉरेंसिक विभाग में सहायक आचार्य हैं तथा रिकार्ड रूम का कार्य भी देख रहे हैं।

जिला अनुसंधान अधिकारी ने 24 जुलाई 2018 को इस संद्धर्भ में पत्र लिखकर आईजीएमसी के प्रधानाचार्य और अस्थि विभाग से जानकारी हासिल की। इस पर अस्थि विभाग ने 28. 7.18 को सूचित किया कि यह प्रमाण पत्र अस्थि विभाग द्वारा जारी नही किया गया है जबकि जो बीमारी बताई गयी है वह अस्थि/न्यूरो विभाग से ताल्लुक रखती है। आईजीएमसी से यह स्पष्टीकरण आने के बाद विभाग ने इसे पूरी तरह धोखाधड़ी का मामला मानते हुए 19.9.2018 को इसी की शिकायत पुलिस अधीक्षक शिमला को कर दी। इस शिकायत में इसी कर्मचारी का एक 26.6.2014 का चिकित्सा प्रति पूर्ति का दावा भी उठाया है। जिसमें आईजीएमसी के हृदय विभाग के एक डॉ. मनीश से ईलाज करवाया बताया गया है। जबकि विभाग में इस नाम का कोई डाक्टर ही तैनात नही है। इस तरह यह चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा भी धोखाधड़ी माना गया है। विभाग आईजीएमसी से विस्तृत जानकारी जुटाने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संबंधित कर्मचारी ने शुद्ध रूप से यह धोखाधड़ी की है और तभी इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक शिमला से की है।

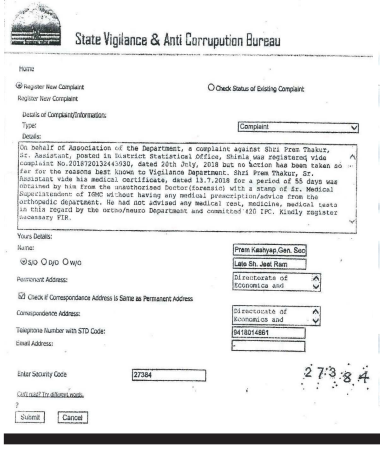

मैडिकल सर्टीफिकेट कितने दिनों तक का किस डॉक्टर द्वारा जारी किया जाता है यह प्रदेश सरकार की 19 जुलाई 2006 की अधिसूचना No HFN-B(A) 12-9/79/(1/N) में पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार मैडिकल अफसर केवल सात दिन तक का ही सर्टीफिकेट जारी कर सकता है इससे अधिक के लिये बीमार को विशेषज्ञ को रैफर करना होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नही किया गया। इससे सवाल पैदा होता है कि क्या डॉक्टरों को इस संबंध में उनके अधिकारों की जानकारी ही नही है। या फिर इसमें कोई बड़े स्तर का घपला चल रहा है। इसी के साथ विजिलैन्स और पुलिस की कारवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विभाग के कर्मचारी संघ की शिकायत पर विजिलैन्स ने 20 जुलाई को शिकायत दर्ज कर ली थी लेकिन इस पर आज तक कोई कारवाई नही हुई है। इसी तरह जिला सांख्यिकी अनुसंधान अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक शिमला को 19-9-2018 को वाकायदा पत्र लिखकर अधिकारिक तौर पर यह शिकायत भेजी है परन्तु अभी तक कोई एक्शन सामने नही आया है। इसी बीच आईजीएमसी के वरिष्ठ अधीक्षक जनक राज ने 7-7-2018 को अपनी शक्तियां डा. राहुल गुप्ता को डैलीगेट कर दी हैं। डा. जनक राज अब केवल 10% मामले ही अपने स्तर पर देखेंगे। यह शक्तियां डैलीगेट 7-7-2018 को हाती है यदि सही में हुई हैं तो। लेकिन क्या इससे फॉरेंसिक का डाक्टर अस्थि विभाग का प्रमाण पत्र जारी करने के लिये पात्र हो जाता है? इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से सारा घटनाक्रम घटा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि इसमें गहनता से जांच होगी तो बहुत कुछ सामने आयेगा।

State Vigilance & Anti Corruption Bureau